<u>आरटीआई मामला</u>

सं0 ओ-17035/04/2016/एचएफए-IV (एफटीएस-9015679)

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(एचएफए-IV अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110018

दिनांकः 19th नवम्बर,2018

सेवा में,

श्री मनोज कुमार गुप्ता,
198/23 श्री राम नगर,
गली संख्या 1 शाहदरा,
दिल्ली-110032

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में ।

महोदय,

मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से दिनांक 22.10.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं0 आरटीआई/12542/2018-पीएमआर के द्वारा आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा (6)3 के तहत स्थानान्तरित और ई-आफिस के माध्यम से दिनांक 26.10.2018 को सीपीआईओ (एचएफ-IV) के कार्यालय में प्राप्त दिनांक 13.10.2018 के आपके आरटीआई आवेदन का अवलोकन करने का निदेश हुआ है जो पीएमएवाई (शहरी) मिशन के सीएलएसएस घटक से संबंधित आरटीआई आवेदन की मद सं0 1,2 और 3 के बारे में सूचना प्रदान करने के संबंध में है। एचएफए प्रभाग में यथा उपलब्ध मदवार सूचना नीचे दी जा रही है:-

<u>मद सं.1:</u> पीएमएवाई (यू) के सीएलएसएस घटक के अंतर्गत स्वीकार्य ब्याज सब्सिडी प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं के माध्यम से लाभार्थी के आवास ऋण खाते में सीधे जमा की जाएगी। दी गई ब्याज सब्सिडी उधार लेने वाले/लाभार्थी की मुख्य ऋण राशि से कम की जाएगी, तत्पश्चात जिसे ऋण की संपूर्ण अवधि में प्रभावी ढंग से कम किए गए आवास ऋण पर सहमत दस्तावेज दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

<u>मद सं. 2 और 3:</u> मिशन के सीएलएसएस (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस) घटक के अंतर्गत 3,00,000/- रूपए तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी तथा 3,00,001/- रूपए और 6,00,000 रू0 के बीच की पारिवारिक वार्षिक आय वाले निम्न आय वर्ग वाले लाभार्थी, बशर्ते कि वे इस स्कीम के अंतर्गत अन्यथा पात्र हों, आवास के **अधिग्रहण, निर्माण और विस्तार के लिए** बैंकों, आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) और अन्य ऐसी संस्थाओं से 6.00 लाख रूपए तक के आवासीय ऋण पर 6.5 प्रतिशत की दर से 20 वर्ष की अवधि तक अथवा ऋण की वास्तविक अवधि तक, जो भी पहले हो, ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, इससे प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 2.67 लाख रू0 का लाभ मिलेगा।

जारी...

ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस स्कीम के अंतर्गत दिनांक 17.06.2015 को अथवा उसके पश्चात प्राथमिक ऋणदाता संस्था (पीएलआई) द्वारा स्वीकृत और संवितरित मौजूदा आवास ऋण तथा एमआईजी के लिए सीएलएसएस स्कीम के अंतर्गत दिनांक 01.01.2017 को अथवा उसके पश्चात प्राथमिक ऋणदाता संस्था (पीएलआई) द्वारा स्वीकृत और संवितरित मौजूदा आवास ऋण विचारार्थ अनुमत्य हैं बशर्ते कि वे इन स्कीमों के अंतर्गत अन्यथा पात्र हों।

पीएमएवाई (शहरी) मिशन के सीएलएसएस घटक के कार्यान्वयन के लिए, मंत्रालय ने प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (पीएलआई) को सब्सिडी जारी करने हेतु दो केंद्रीय नोडल एजेंसियों अर्थात् राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग एंड अर्बन डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लि. (हडको) की पहचान की है। केंद्रीय नोडल एजेन्सियों ने स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

पीएमएवाई (शहरी) के सीएलएसएस घटक के अंतर्गत स्वीकार्य ऋण सब्सिडी प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक, किसी भी प्राथमिक ऋणदाता संस्था (पीएलआई) (बैंक, एचएफसी आदि) से संपर्क कर सकता है जिसने राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) या हाऊसिंग एंड अर्बन डेवलेमेंट कारपोरेशन लि0 (हडको) में से किसी एक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आवेदक को संबंधित बैंक/एचएफसी की "सम्यक तत्परता" के तहत यथा निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करना होता है बशर्ते कि वह पीएमएवाई (शहरी) मिशन के स्कीम दिशानिर्देशों के तहत अन्यथा पात्र हो। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली उन प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट http:/mohua.gov.in/cms/credit-linked-subsidy-scheme.php तथा इसके साथ-साथ एनएचबी तथा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. (हडको) की वेबसाइट पर भी दी गई है।

संपूर्ण ब्यौरे के लिए, ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस और एमआईजी के लिए सीएलएसएस हेतु पीएमएवाई (यू) मिशन दिशानिर्देश और प्रचालनात्मक दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर http://mohua.gov.in/cms/hfaguidelinesmanagement.php लिंक पर उपलब्ध हैं।

2. यदि आप उपर्युक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पता निम्नानुसार है:-

डॉ0 चद्रमणि शर्मा,
निदेशक(एचएफए-4),
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,
कमरा सं. 222, 'जी' विंग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108

भवदीय,

राहुल

(राहुल माहना)
अवर सचिव एवं सीपीआईओ (एचएफए-4)
दूरभाष-23061285

जारी...

प्रति प्रेषित:

i. अवर सचिव एंव सीपीआईओ (श्री प्रवीण कुमार), प्रधानमंत्री कार्यालय, साऊथ ब्लॉक नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ

ii. अनुभाग अधिकारी (पीआई प्रकोष्ठ), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन को सूचनार्थ।

iii. अनुभाग अधिकारी (आईटी सेल), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन को इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए।